

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 624 /2022.लखनऊ:दि0:अप्रैल, 27 ,2022

—:: आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशांक-581/22 दिनांक 19.04.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पीठ-गोरखपुर में दिनांक 28.04.2022 से 29.04.2022 तक के लिए श्री वीरेन्द्र कुमार, न्यायिक सदस्य पीठ-गोरखपुर एवं श्री बाबू लाल, विभागीय सदस्य, मुख्यालय की युगल पीठ गठित की गई थी।

उत्तर प्रदेश शासन राज्य कर अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप सं0-208/11-4-2022-30(12)/2021 दिनांक 25.04.2022 द्वारा श्री बाबू लाल, सदस्य मुख्यालय की तैनाती सदस्य पीठ-2 मेरठ के पद पर की गयी है।

अतः उक्त परिस्थितियों में गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है।

ह0 / 27.04.2022

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 624 /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-गोरखपुर।
2. मुंसरिम/ वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण /कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. श्री बाबू लाल, विभागीय सदस्य मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।